नम्बर
अहकाम
की तामील

राजस्व वाद संख्या:– 35 / 2023
सुबेसिंह बनाम कालो वगै0
निर्णय दिनांक:– 05.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

स्व वाद सं.– 35 / 2023

सुबेसिंह पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी लाखलाण तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. कालो पुत्री श्रवण जाति धानक निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. धापा पुत्री श्रवण जाति धानक निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. बिमला पत्नी श्रवण जाति धानक निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. सुरेश पुत्र श्रवण जाति धानक निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. हरप्यारी पुत्री श्रवण जाति धानक निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. प्रेम देवी पत्नी शेरसिंह जाति बावरिया निवासी गिगनाउ तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा।
7. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र किशोरी लाल जाति बावरिया निवासी दादरी तोय जिला झज्जर हरियाणा।
8. धर्म सिंह पुत्र किशोरी लाल जाति बावरिया निवासी दादरी तोय जिला झज्जर हरियाणा।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र किशोरी लाल जाति बावरिया निवासी दादरी तोय जिला झज्जर हरियाणा।
10. मुन्नी देवी पत्नी भवंर सिंह जाति बावरिया निवासी दादरी तोय जिला झज्जर हरियाणा।
11. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. रोहताश पुत्र शेरसिंह जाति बावरिया निवासी गिगनाउ तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा।

– प्रतिवादीगण

C

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या— 35 / 2023
सुबेसिंह बनाम कालो वगै0
निर्णय दिनांक— 05.10.2023

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक —05.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) यह कि राजस्व ग्राम कासनी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 2.24 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.24 है0 में वादी का हिस्सा 4 / 15 दर्ज रिकार्ड का अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जाकर वादी का अलग से लगाय कायम किया जावे एवं वादी के अलग से खसरा कायम किया जावे एवं वादी के नाम अलग से पास बुक जारी किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 व 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम कासनी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 2.24 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.24 है0 भूमि को विक्रय,गिरवी,रहन,बय एवं खुर्द बुर्द नहीं करे वादी के हिस्से कब्जे काश्त भूमि में ना तो स्वंय बाधा कारित करे और ना ही अपने ऐजेन्टो से बाधा कारित करवाये जब तक विधिवत बाई मिट्स एवं बाई बाउण्डस खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(ग) यह कि अन्य सिद्दि जो चाहे जाने से रह गई हा और वादी के हक में हो दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। वकील वादी ने रोहताश पुत्र शेर सिंह जाति बावरिया निवासी गिगनाउ तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया तथा बहस में बताया की प्रतिवादीया संख्या 06 ने दावा दायरी के बाद अपने हिस्से में से 9617 / 44800 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन दिनांक 06.04.2023 को नामान्तकरण संख्या 2120 दर्ज है इसलिए रोहताश को वाद में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर रोहताश पुत्र शेर सिंह जाति बावरिया निवासी गिगनाउ तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा को उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश फरमाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की और से श्री दीपक स्वामी एड0 ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 एवं 12 की और से श्री राकेश वर्मा एड0 ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 की और से श्री संदीप मोयल एड0 ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

[illegible]

[illegible]

-: आदेश :-

न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 971 रकबा 2.24 है० कुल किता 1 कुल रकबा 2.24 है० स्थित राजस्व ग्राम [illegible] तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अभि. / 2023 / 1387 दिनांक 28.09.2023 के अनुसार अब प्रारंभिक डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:– 35 / 2023
सुबेसिंह बनाम कालो वगै0
निर्णय दिनांक:– 05.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 35 / 2023

निर्णय दिनांक :– **05-10-2023**

सुबेसिंह बनाम कालो वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राकेश योगी एड0** तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की और से **श्री दीपक स्वामी एड0**, प्रतिवादीगण संख्या 6,12 की और से **श्री राकेश वर्मा एड0** एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 की और से **श्री संदीप मोयल एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **05.10.2023** को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 2.24 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.24 है0 स्थित राजस्व ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0 / 2023 / 1367 दिनांक 26.09.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **05.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

C

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़